बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

आ0सं0–07 / स्था0–(नियुक्ति)–14 / 2013 / पटना, दिनांक

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 462 / भा. दिनांक 13.02.2013 के द्वारा प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अनुशंसित 45 (पैंतालीस) अभ्यर्थियों की सूची पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं0–141 / 2013 प्रभात कुमार एवं अन्य बनाम बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य में दिनांक 13.02.2013 को पारित अंतरिम आदेश द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पर स्थगन आदेश पारित किया गया था ।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 13.12.2013 को पारित आदेश में सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं0–141 / 2013 प्रभात कुमार एवं अन्य बनाम बिहार कर्मचारी चयन आयोग तथा समान मामलों में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है ।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची के आलोक में सभी 45 (पैंतालीस) अनुशंसित अभ्यर्थियों को परिवहन विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर वेतनमान पे बैंड वेतन 9300–34,800 ग्रेड पे–4200 में योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

4. सभी अनुशंसित 45 (पैंतालीस) प्रवर्तन अवर निरीक्षकों (सूची संलग्न) को आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 30.12.2013 तक निश्चित रूप से राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय में अपना योगदान समर्पित कर दें ।

5. योगदान के समय सभी अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (मूल एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति) तथा दहेज संबंधी घोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा, जिसकी जांच विभाग के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाएगी। समिति के जॉचोपरान्त ही योगदान करवाया जाएगा।

6. सभी नियुक्ति कर्मियों द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी अभिलेख सही हैं । इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर परिवहन विभाग को उनकी नियुक्ति रद्द करने का पूरा अधिकार होगा ।

7. नियुक्त सभी कर्मियों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन भी कराया जाएगा एवं चरित्र सत्यापन में किसी प्रकार की प्रतिकूल अभ्युक्ति प्राप्त होने पर उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

8. उक्त सभी कर्मियों की वरीयता का नियमानुसार निर्धारण कर अलग से संसूचित किया जाएगा ।

9. नियुक्त सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षकों के वेतन का भुगतान उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की जांच एवं पुलिस विभाग से उनका चरित्र सत्यापन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाएगा ।

ह0 / –

प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक पटना,दिनांक

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 6481 पटना,दिनांक 16/12/2013

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/लेखा शाखा/स्थापना शाखा/रक्षित पंजी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/12/13
प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।